

उत्तर प्रदेश शासन  
खाद्य तथा रसद अनुभाग-  
संख्या-11 / 2018 / रा-492/29-1-2018-59विविध/12  
लखनऊ: दिनांक: : 20 जुलाई 2018

शुद्धि पत्र

खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने विषयक कार्यालय आदेश संख्या- 10/2018/रा-484 /29-1-2018-59विविध/12 में आदेश निर्गत होने की तिथि लिपिकीय त्रुटिवश दिनांक 18 जुलाई 2018 के स्थान पर दिनांक 18 जुलाई 2017 अंकित हो गयी है। अतः उक्त कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 18 जुलाई 2017 के स्थान पर दिनांक 18 जुलाई 2018 पढी जाय। उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संतोष कुमार सक्सेना  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

- 1- महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अधिकारीगणों के वेतन निर्धारण / वेतन एरियर एवं पेंशन निर्धारण/ पुनरीक्षण के संबंध में अपने स्तर से नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 3- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ ।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी ।
- 5- संबंधित अधिकारीगण द्वारा आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ ।
- 6- चरित्र पंजिका हेतु ।
- 7- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(सन्तोष कुमार सक्सेना)  
संयुक्त सचिव।